E-mail

आवश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प 1(29)(2)रानिआ / लेखा / बजट / 2014–15 / 4214 दिनांकः 24/9/14

प्रेषक– मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।

प्रेषिति– जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका),
(कलक्टर),
अजमेर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, बारां, बांसवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़, चूरू, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, हनुमानगढ़, कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।

विषयः–नगर निकाय आम चुनाव 2014 की वीडियो ग्राफी व टैण्ट/ बैरीकेडिंग की व्यय सीमा निर्धारण बाबत्।

सन्दर्भः–आयोग का पत्रांक 4321 दिनांक 28.10.2009, पत्रांक 3747 दिनांक 03.09.2014 एवं पत्रांक 3759 दिनांक 05.09.2014

महोदय,

नगर निकाय आम चुनाव के दौरान् आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने एवं राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन हेतु वीडियो ग्राफी कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के पत्रांक– प 4(4)नपा / रानिआ / 04 / 4321 दिनांक 28.10.2009 में प्रदान किये हुए हैं। आगामी नगर निकाय आम चुनाव 2014 के लिये की जाने वाली वीडियो ग्राफी तथा टैण्ट / बैरीकेडिंग, विद्युत व्यय एवं माइक व्यवस्था पर होने वाले अत्यधिक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित मदों / सामग्री की व्यय सीमा निर्धारित की जाती है :–

(अ) वीडियों ग्राफी (नामांकन की तिथि से मतगणना तक)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वीडियों ग्राफर की सं.
1	चुनाव पर्यवेक्षक (चुनाव क्षेत्र में नियुक्ति के दौरान्)	एक
2	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)	एक
3	रिटर्निंग ऑफीसर	एक
4	कन्ट्रोल रूम (यदि आवश्यकता हो)	
	नगर निगम चुनाव	तीन
	नगर परिषद	दो
	नगर पालिका	एक

24/09/2014

(ब) टैण्ट बैरीकेडिंग, विद्युत व माइक व्यवस्था

क्र.सं.	निकाय का नाम	निर्धारित व्यय सीमा
1	नगर निगम, जयपुर	चौदह लाख
2	नगर निगम, जोधपुर/कोटा	सात लाख
3	नगर निगम, बीकानेर	पाँच लाख
4	नगर निगम, भरतपुर/उदयपुर	तीन लाख
5	नगर परिषद अलवर	दो लाख
6	अन्य नगर परिषद	सत्तर हजार
7	नगर पालिका	पैंतीस हजार

वीडियो ग्राफी के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि, आदर्श आचार संहिता की पालना के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नामांकन की तिथि से मतदान दिवस, मतगणना दिवस तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के चुनाव दिवस पर महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियो ग्राफी की जा सकेगी। **मतदान दिवस पर जिला निर्वाचन अधिकारी संवेदनशील/अति संवेदनशील बूथों की वीडियो ग्राफी के लिए स्व–विवेक से अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।**

आयोग द्वारा निर्धारित सीलिंग की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता प्रतीत होने पर आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

24/09/2014

(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प 1(29)(2)रानिआ/लेखा/बजट/2014–15/4215-20 दिनांकः 24/9/14

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य लेखाधिकारी/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
4. नगर पालिका/पंचायत चुनाव शाखा/भण्डार शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
5. कम्प्यूटर शाखा/संस्थापन शाखा/लेखा (आन्तरिक जाँच) शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
6. गार्ड फाईल।

24/9

(कोमल आगरी)
मुख्य लेखाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर